182

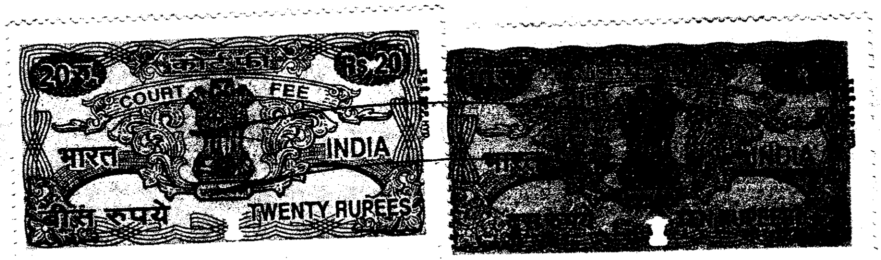


RAU71- I-17

समक्ष मानूनीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. ........./.............../...........................

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

पक्षकार - श्री बसोरी कुसराम पिता श्री चमरू लाल कुसराम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम देवरीकला पोस्ट खुख्कम तह. कुण्डम जिला जबलपुर

विरूद्ध -

अनावेदक - म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

**अपील अंतर्गत धारा35(4)म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत्**

1. मानूनीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. **45/अ-21/2016-17** में पारित **आदेश** दि. 23/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा35(4)के तहत्** यह पुनिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि श्री बसोरी कुसराम पिता श्री चमरू लाल कुसराम जाति गौड (आदिवासी) निवासी-ग्राम देवरीकला पोस्ट खुख्कम तह. कुण्डम जिला जबलपुर द्वारा ग्राम **खुख्कम** प.ह. नं. 20, रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 80/1 रकवा 0.97 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21/11/2016 (Annexure-2) **म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत्** कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय अनुमति उपरांत आवेदक के पास ग्राम देवरी कला प.ह.नं. 21 रा.नि.मं. इमलई तहसील व जिला जबलपुर में 9.55 हैक्टैयर असिंचित भूमि शेष बच रही है। आवेदित भूमि विक्रय के बाद जो भी मुझे प्रतिफल मिलेगा मैं उससे अपनी शेष बची भूमि को उपजाउ तथा सिंचाई के साधन बनाउंगा। आवेदित भूमि पट्टे की नहीं है। आवेदित

दिनाँक 2-2-17 को श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा प्रस्तुत।
2-2-17
02/02/17

NOTARY MOHAMMED

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

--------

प्रकरण कमांक – अपील 471–एक/17 जिला – जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कर्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 15-2-17 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ-21/ 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2- अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी क्रं. 2 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 23-1-17 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है ।<br>3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम खक्खम प.ह. नं. 20 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 80/1 रकबा 0.970 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165(6) के तहत देने | |

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | हेतु अनुरोध किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों खसरा इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियां अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमियां है शासन से प्राप्त भूमियां नहीं है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास विक्रय हेतु आवेदित प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त ग्राम देवरीकलां में 9.55 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा तर्को में यह कहा गया है कि गैर आदिम जनजाति के सदस्य/क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है और अंतरण में कोई छल कपट नहीं हो रहा है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमियों को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । <br><br> उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाध्यक्ष, जबलपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 23-1-17 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम खक्खम प.ह.नं. 20 रा.नि.मं. इमलई तहसील कुण्डम जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 80/1 रकबा 0.970 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय करने की अनुमति संहिता की धारा 165 (6) के तहत निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :- <br><br> 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का | |

XXXIX(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

-----

प्रकरण क्रमांक - अपील 471-एक/17 जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | मूल्य देने को तैयार हो ।<br>2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा<br>अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।<br>(एम0के0 सिंह)<br>सदस्य,<br>राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश<br>ग्वालियर | |